मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश <u>अध्यक्ष</u> तथा <u>उपाध्यक्ष</u> (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

(क्रमांक 27 सन् 1972)

तथा

उसके अधीन निर्मित नियम

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

(क्रमांक 27 सन् 1972)

तथा

उसके अधीन निर्मित नियम

(16 सन् 2016 तक यथा संशोधित)

विषय-सूची

1. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972
(क्रमांक 27 सन् 1972)

2. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1973

3. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वाहनों का क्रय तथा अनुरक्षण) नियम, 1975

4. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (निवास स्थान) नियम, 1965

5. मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972

6. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972
(क्रमांक 27 सन् 1972) समय-समय पर आए संशोधनों का 'सार'

7. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972
(क्रमांक 27 सन् 1972) की धाराओं में आए संशोधन

<u>ENGLISH – VERSION</u>

8. THE MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSH (VETAN TATHA BHATTA) "ADINIYAM" 1972 (NO 27 OF 1972)
9. MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSH (VETAN TATHA DAINIK BHATTA) "NIYAM 1973
10. M. P. ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSH (YAHNOKA KRAYA TATHA ANURAKSHANA) "NIYAM" 1975
11. M. P. SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER "PRESIDENCES RULES" 1965
12. M. P. MINISTERS (TRAVILING AND DAILY ALLOWUNCES) " RULES" 1972

मध्यप्रदेश अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 1972)

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम.

2. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन

3. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सत्कार भत्ता

4. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये निवास-स्थान

5. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये वाहन

6. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि

7. किसी वृत्ति के करने, सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त करने आदि का प्रतिषेध

8. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता

8-क. भत्ते तथा परिलब्धियों में से आय-कर नहीं लिया जायेगा

9. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना उनकी नियुक्ति आदि का निश्चायक साक्ष्य होगी.

10. नियम बनाने की शक्ति

11. निरसन

मध्यप्रदेश अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 1972)

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

दिनांक 2 सितम्बर, 1972 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 2 सितम्बर, 1972 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.

मध्यप्रदेश विधान सभा तथा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 कहा जा सकेगा.	**संक्षिप्त नाम**

2. अध्यक्ष को **सैंतालीस हजार रूपये** तथा उपाध्यक्ष को **पैंतालीस हजार रूपये** प्रतिमास वेतन दिया जाएगा.	**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन**

3. (1) अध्यक्ष को **अड़तालीस हजार रूपये** प्रतिमास **सत्कार भत्ता** तथा उपाध्यक्ष को **पैंतालीस हजार रूपये** प्रतिमास **सत्कार** भत्ता दिया जाएगा.	**अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को सत्कार भत्ता**

(2) अध्यक्ष को **पैंतालीस हजार रूपये** प्रतिमास **निर्वाचन क्षेत्र भत्ता** तथा उपाध्यक्ष को **पैंतीस हजार रूपये** प्रतिमास **निर्वाचन क्षेत्र भत्ता** दिया जाएगा.	**अध्यक्ष- उपाध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता**

(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को **एक हजार पाँच सौ रूपये** प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.	**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को दैनिक भत्ता**

4. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को भोपाल में, अपनी पद की पूरी अवधि भर और उसके अव्यवहित पश्चात् एक मास की कालावधि तक, किराये का भुगतान किए बिना, सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने के हकदार होंगे और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण की बाबत् अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार नहीं देना पड़ेगा.	**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिए निवास स्थान**

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "निवास स्थान" में उससे अनुलग्न कर्मचारी-क्वार्टर तथा अन्य भवन एवं उसका उद्यान सम्मिलित हैं और किसी निवास स्थान से संबंधित "अनुरक्षण" में स्थानीय रेटों तथा करों का भुगतान और विद्युत एवं जल की व्यवस्था सम्मिलित हैं.

(2) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपधारा (1) का फ़ायदा न उठाए तो वह उसके बदले में उतना गृह किराया भत्ता प्राप्त करने का हक़दार होगा जो कि धारा (2) के अधीन उसे देय वेतन के बीस प्रतिशत के बराबर हो.

(3) उपधारा (1) के अधीन भोपाल में नि:शुल्क सुसज्जित निवास स्थान के अतिरिक्त, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किसी ऐसे अन्य स्थान पर जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के शासकीय निवास का स्थान घोषित करें, सुसज्जित निवास स्थान का, किराये का भुगतान किए बिना, उस समय तक के लिए जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहे, उपयोग करने का भी हक़दार होगा.

(4) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन दिए गए निवास स्थान को सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय अध्यक्ष को दिये गए निवास स्थान की दशा में **पैंतीस हजार रू.** की आर्थिक सीमा के अध्यधीन होगा और उपाध्यक्ष को दिये गए निवास स्थान की दशा में **पच्चीस हजार** की आर्थिक सीमा के अध्यधीन होगा.

(5) निवास स्थान एवं उद्यान के, जिनके लिए उपधारा 1 के अधीन उपबंध किया गया है, समारक्षण, वार्षिक मरम्मतों तथा अनुरक्षण के बारे में किया जाने वाला वार्षिक व्यय ऐसी आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियम द्वारा अधिकथित की जाये.

5. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसके उपयोग के लिये एक एक उपयुक्त मोटरयान दिया जायेगा जिसका क्रय तथा अनुरक्षण उन नियमों के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाये जाये, सरकारी व्यय से किया जायेगा.

5. (2) राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मोटरयान के लिये सरकारी व्यय से * दो मोटरचालक (शोफर) की भी व्यवस्था करेगी और प्रत्येक मोटरयान के लिये, ऐसे प्रत्येक मोटरयान द्वारा की गई यात्राओं (जो उन यात्राओं से भिन्न हो जिनके लिये की यात्रा भत्ता अनुज्ञेय है) के लिये उपयुक्त मोटर ईंधन का भी प्रदाय करेगी जो अध्यक्ष को दिये गये मोटरयान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ पचास लीटर, तथा उपाध्यक्ष को दिये गये मोटरयान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ लीटर होगा.

6. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कुटुम्ब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुम्बों के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का संख्या 61) के अधीन समय समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती है.	**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि**

(2) यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जब कि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी निःशुल्क हकदार होगा जो उस स्थान पर भारत मिशन (इंडिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञये हो.

7. **अध्यक्ष या उपाध्यक्ष—**

(क) अपने पद की, जिसके लिये की वह वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता है अवधि के दौरान कोई वृत्ति नही करेगा या किसी व्यापार में नहीं लगेगा या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई नियोजन पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये ग्रहण नहीं करेगा; और	**किसी वृत्ति के करने सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त करने आदि का प्रतिषेध**

(ख) मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कोई वेतन या भत्ता प्राप्त करने का उस दशा में हकदार नहीं होगा जबकि वह अपने पद के लिये वेतन तथा भत्ता प्राप्त करता हो.

8. (1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसारः-

(क) (एक) पद ग्रहण करने के लिये, भोपाल के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से भोपाल तक की गई यात्रा के संबंध में, और	**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता**

(दो) पद मुक्त होने पर भोपाल से, भोपाल के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के संबंध में अपने स्वयं के लिए तथा अपने कुटुंब के ऐसे सदस्यों के लिये जो उस पर आश्रित हो, और अपनी तथा अपने कुटुंब की चीज वस्तु के परिवहन के लिये यात्रा भत्ता प्राप्त करने का, और

(ख) उन दौरों के संबंध में जो कि उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में या लोक कार्य से थल, जल या वायु मार्ग द्वारा किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा.

(2) इस अधिनियम में अंतर विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उपाध्यक्ष का सामान्य निवास स्थान भोपाल से भिन्न हो तो वह उस कालावधि के दौरान जबकि विधान सभा का सत्र न चल रहा हो

उन दौरों के संबंध में, जो कि उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने सामान्य निवास स्थान से, जो कि ऐसे दौरों के संबंध में उसका मुख्यालय समझा जायेगा, किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार प्राप्त करने का भी हकदार होगा.

(3) इस धारा के अधीन किसी भी यात्रा भत्ते का नगद भुगतान किया जा सकेगा या उसके बदले में नि:शुल्क शासकीय परिवहन की व्यवस्था की जा सकेगी.

(4) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए दौरों के लिये देय यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के अतिरिक्त इस बात का हकदार होगा कि जब वह ऐसे दौरों के दौरान विश्राम भवनों (सर्किट हाऊसेज) तथा विश्राम गृहों (रेस्ट हाऊसेज) में, जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो, ठहरे तो उसे उन विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में वास सुविधा तथा विद्युत की व्यवस्था उस ठहरने की कालावधि के लिये नि:शुल्क उपलब्ध रहें.

2. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 8 (क) के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये और उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह 1 अप्रैल 1994 से स्थापित की गई है अर्थात:-

"8 (क) इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत और किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत् जो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, यथा स्थिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से आयकर नहीं लिया जायेगा और वह आयकर यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देय उक्त भत्तों तथा परिलब्धियों से प्रोदभूत आय की कुल रकम में से समय समय पर अनुज्ञेय आयकर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हो, घटाई नही जायेगी."	**भत्ते तथा परिलब्धियों में से आयकर नहीं लिया जायेगा**

(9) वह तारीख, जिसको की कोई व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो जाये अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रह जाये, राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी और कोई भी ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हुआ था अथवा इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह गया था.	**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना उनकी नियुक्ति आदि की निश्चायक साक्ष्य होगी**

(10) (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।	**नियम बनाने की शक्ति**

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

(11) मध्यप्रदेश स्पीकर एण्ड डिप्टी स्पीकर (सेलरीज एण्ड एलाउन्सेज) एक्ट 1956 (क्रमांक-3 सन् 1957) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है.	**निरसन**

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

(क्र.-27 सन् 1972) में समय समय पर आये संशोधनों का सार

धारा 2 का संशोधन

(1) वर्ष 1981 में क्र. -22 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. -27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द **"एक हजार पांच सौ रूपये"** तथा **"एक हजार दो सौ पचास रूपये"** के स्थान पर क्रमश: शब्द **"एक हजार सात सौ पचास रूपये"** तथा **"एक हजार पांच सौ रूपये"** स्थापित किये जाये.

(2) वर्ष 1987 में क्र. 11 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. -27 सन् 1972) में–

(क) धारा दो में शब्द **"एक हजार सात सौ पचास रूपये प्रतिमास"** के स्थान पर शब्द **"दो हजार रूपये प्रतिमास"** और शब्द **"एक हजार पांच सौ रूपये प्रतिमास"** के स्थान पर शब्द **"एक हजार सात सौ पचास रूपये प्रतिमास"** स्थापित किये जाये ;

(3) वर्ष 1988 में क्र. 17 द्वारा संशोधन

(क) धारा दो के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात:-

"2. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को **एक हजार रूपये प्रतिमास** वेतन दिया जायेगा.";

(4) वर्ष 1997 में क्र. 24 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. -27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द **"एक हजार"** के स्थान पर शब्द **"एक हजार पांच सौ"** स्थापित किये जाये.

(5) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. -27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द **"एक हजार पांच सौ"** के स्थान पर शब्द **"चार हजार"** स्थापित किये जाये.

(6) वर्ष 2010 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. -27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द **"नौ हजार"** के स्थान पर शब्द **"दस हजार"** स्थापित किये जाये.

(7) वर्ष 2010 में क्रमांक 22 द्वारा संशोधन

अध्यक्ष को **सत्ताईस हजार रूपये** और उपाध्यक्ष को **पच्चीस हजार रूपये** प्रतिमास वेतन दिया जायेगा।

(8) वर्ष 2016 में क्रमांक 16 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. -27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

अध्यक्ष को **सैंतालीस हजार रूपये** और उपाध्यक्ष को **पैंतालीस हजार रूपये** प्रतिमास वेतन दिया जायेगा।

धारा 3 का संशोधन

(1) वर्ष 1987 में क्र. 11 द्वारा संशोधन
(ख) धारा तीन में शब्द **"दो सौ पचास रूपये प्रतिमास"** के स्थान पर शब्द **"सात सौ पचास रूपये प्रतिमास"** और शब्द **"दो सौ रूपये प्रतिमास"** के स्थान पर शब्द **"सात सौ रूपये प्रतिमास"** स्थापित किये जाये.

(2) वर्ष 1988 में क्र. 17 द्वारा संशोधन
धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये अर्थात् :-
(1) अध्यक्ष को **एक हजार रूपये** प्रतिमास **सत्कार भत्ता** और उपाध्यक्ष को **पांच सौ रूपये** प्रतिमास **सत्कार भत्ता** दिया जायेगा.
(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को **एक हजार दो सौ पचास** रूपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.
(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान **75 रूपये प्रतिदिन** के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.;

(3) वर्ष 1993 में क्र. 9 द्वारा संशोधन
2. For section 3 of the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972, the following section shall be substituted, namely :-
"3. (1) There shall be paid to the Speaker a sumptuary allowance of rupees per mensem and to the Deputy Speaker a sumptuary allowance of rupess per mensem.
(2) There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker a constitutency allowance of three thousand rupees per mensem.
(3) There shall be paid to the speaker and the Deputy Speaker a daily allowance of one hundred fifty rupees per day."

(4) वर्ष 1997 में क्र. 24 द्वारा संशोधन
मूल अधिनियम की धारा 3 में --
(एक) उपधारा (1) में शब्द **"एक हजार पांच सौ "** के स्थान पर शब्द **"दो हजार पांच सौ "** और शब्द **"सात सौ पचास"** के स्थान पर शब्द **"एक हजार पांच सौ"** स्थापित किये जाये; और
(दो) उपधारा (3) में शब्द **"एक सौ पचास के"** स्थान पर शब्द **"दो सौ"** स्थापित किये जाये.

(5) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. -27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द **"एक हजार पांच सौ"** के स्थान पर शब्द **"चार हजार"** स्थापित किये जाये.

(6) वर्ष 2008 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. -27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द **"चार हजार"** के स्थान पर, शब्द **"नौ हजार"** स्थापित किये जाये.

(7) मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(एक) उपधारा (1) में शब्द **"दो हजार पांच सौ"** के स्थान पर शब्द **"आठ हजार"** और शब्द **"एक हाजर पांच सौ"** के स्थान पर शब्द **"पांच हजार "** स्थापित किये जाये

(दो) उपधारा (2) में, शब्द **तीन हजार** के स्थान पर शब्द **आठ हजार** स्थापित किये जाये. और

(तीन) उपधारा (3) में शब्द **दो सौ** के स्थान पर शब्द **पांच सौ** स्थापित किये जाये.

(8) वर्ष 2008 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(एक) उपधारा (1) में शब्द **"आठ हजार "** तथा **"पांच हजार "** के स्थान पर शब्द **"नौ हजार"** तथा **"छह हजार"** स्थापित किये जाये

(दो) उपधारा (2) में, शब्द **आठ हजार** के स्थान पर शब्द **बारह हजार** स्थापित किये जाये.

(9) वर्ष 2010 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(एक) उपधारा (1) में शब्द **"नौ हजार "** तथा **"छह हजार"** के स्थान पर क्रमशः शब्द **"तेरह हजार"** तथा **"दस हजार"** क्रमशः स्थापित किये जाये.

(दो) उपधारा (2) में, शब्द **बारह हजार** के स्थान पर शब्द **अठारह हजार** स्थापित किये जाये.

(तीन) उपधारा (3) में, शब्द **पांच सौ** के स्थान पर शब्द **आठ सौ** स्थापित किये जाये.

(10) वर्ष 2010 में क्रमांक 22 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

"(1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को **अठारह हजार रूपये** प्रतिमास **सत्कार भत्ता** दिया जायेगा.";

(दो) उपधारा (2) में, शब्द **अठारह हजार** के स्थान पर शब्द **सत्रह हजार** स्थापित किये जाये.

(11) वर्ष 2012 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएं --

(1) अध्यक्ष को **तीस हजार रूपये** तथा उपाध्यक्ष को **पच्चीस हजार रूपये** प्रतिमास **सत्कार भत्ता** दिया जाएगा.

(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को प्रतिमास **सत्ताईस हजार रूपये** निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान **एक हजार दो सौ रूपये** प्रतिदिन के हिसाब से **दैनिक भत्ता** दिया जाएगा.

(12) वर्ष 2016 में क्रमांक 16 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएं --

(1) अध्यक्ष को **अड़तालीस हजार रूपये** प्रतिमास **सत्कार भत्ता** तथा उपाध्यक्ष को **पैंतालीस हजार रूपये** प्रतिमास **सत्कार भत्ता** दिया जाएगा.

(2) अध्यक्ष को **पैंतालीस हजार रूपये** प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा उपाध्यक्ष को **पैंतीस हजार रूपये** प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को **एक हजार पाँच सौ रूपये** प्रतिदिन के हिसाब से **दैनिक भत्ता** दिया जाएगा.

धारा 5 का संशोधन

(1) वर्ष 1981 में क्र. 22 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में शब्द **"एक मोटर चालक (शोफर)"** के स्थान पर शब्द **"दो मोटर चालक (शोफर)"** स्थापित किये जाये.

धारा 6 का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्र. 55 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्रं. 27 सन. 1972) इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :-

(1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कुटुंब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तो पर नि:शुल्क, प्राप्त करने के हकदार होंगे जो कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुंब के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (क्रं. 61 सन् 1951) के अधीन समय समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती है.

(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जबकि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो, जो कि उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी नि:शुल्क हकदार होगा जो कि उस स्थान पर भारत मिशन (इण्डिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो.".

(2) वर्ष 1983 में क्र. 24 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्षा तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्र. 27 सन् 1972) का धारा 6 में,:

(क) उपधारा (1) को उसकी धारा (1-क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुर्नक्रमांकित उपधारा (1-क) के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्त: स्थापित की जाये, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष को प्रतिमास पांच सौ रूपये का चिकित्सीय भत्ता दिया जायेगा."

(ख) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1-क) में, प्रथम बार आने वाले शब्द "अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द, कोष्टक और अंक "उपधारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष" स्थापित किये जाये.;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त: स्थापित किया जाय, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण:** इस धारा में "चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अर्तवासी रोगी के रूप में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार";

(घ) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किया जाये, अर्थात:-

"अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये चिकित्सा भत्ता, चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार"

(3) वर्ष 1988 में क्र. 17 द्वारा संशोधन

धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात :-

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कुटुंब के सदस्य जो उस पर आश्रित हो, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे चिकित्सालयों में स्थान नि:शुल्क प्राप्त करने के तथा चिकित्सीय परिचर्या और उपचार नि:शुल्क प्राप्त करने के भी हकदार होंगे"

(4) वर्ष 1989 में क्र. 13 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्र. 27 सन् 1972) में धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात :-

(1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कुटुंब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर नि:शुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुंबों के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का सं. 61) के अधीन समय समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती है.

(2) यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जबकि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी नि:शुल्क हकदार होगा जो उस स्थान पर भारत मिशन (इण्डिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो.'

<u>धारा 8 का संशोधन</u>

(1) वर्ष 1973 में क्र. 15 द्वारा संशोधन

(ख) उन दौरों के संबंध में जो कि उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में * या लोक कार्य के थल, जल या वायु मार्ग द्वारा किये हो, यात्रा दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा.

<u>धारा 8-क का संशोधन</u>

(1) वर्ष 1976 में क्र. 55 द्वारा संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् अन्त: स्थापित की जा रही निम्नलिखित धारा के संबंध में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वह 1 अप्रैल, 1974 से अन्त: स्थापित की गई है,अर्थात्:-

8-क (एक) इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत् :-और -

(दो) किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत्, जो कि इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अनुज्ञेय है.

यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से आयकर नही लिया जायेगा तथा यह आयकर राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार देय होगा मानो की यथा स्थिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उपयुक्त मदों से प्रोदभूत होने वाली आय ही आयकर अधिनियम 1961 (क्र. 43 सन् 1961) के प्रयोजनों के लिये यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की एक मात्र आय हो".

(2) वर्ष 1997 में क्र. 38 द्वारा संशोधन

2. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्र. 27 सन् 1972) की धारा 8-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, और उनके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह 1 अप्रैल 1994 से स्थापित की गई है, अर्थात:-

"8-क. इस अधिनियम् के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत् और किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परलब्धियों की बाबत् जो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, यथा स्थिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से आयकर नहीं लिया जायेगा और वह आयकर यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देय उक्त भत्तों तथा परलब्धियों से प्रोदभूत आय की कुल रकम में से समय समय पर अनुज्ञेय आयकर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटोतियों की रकम जो भी हो, घटाई नहीं जायेगी".

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम (27 of 1972)

की धाराओं में आये संशोधन

(1)	15 of 1973	धारा -8
(2)	55 of 1976	धारा -6, 8 क
(3)	22 of 1981	धारा -2, 5
(4)	24 of 1983	धारा -6
(5)	11 of 1987	धारा -2, 3
(6)	17 of 1988	धारा -2, 3, 6
(7)	13 of 1989	धारा -6
(8)	9 of 1993	धारा -3
(9)	24 of 1997	धारा -2, 3
(10)	38 of 1997	धारा -8 क
(11)	26 of 2001	धारा -2, 3
(12)	23 of 2008	धारा -2, 3
(13)	18 of 2010	धारा -2, 3
(14)	22 of 2010	धारा -2, 3
(15)	24 of 2012	धारा -3
(16)	16 of 2016	धारा -2, 3